प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राम मन्दिर से सिराड़ी गाँव प्रा०वि० ठठोली सस्पौड़ा मोटर मार्ग का निर्माण ल०5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सिराड़ी
तहसील–गणाई गंगोली जिला–

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राम मन्दिर से सिराड़ी ठठौली सस्पौड़ा परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.17 हे0 सिविल सोयम भूमि .09 हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 1.26 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिराड़ी द्वारा दिनांक 29.4.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिराड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सुन्दर सिंह सुगड़ा प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0/–
ग्राम सचिव 29/4/2021
वि0ख0 गंगोलीहाट

पुजा देवी
प्रधान
ग्राम सभा–चौना
न्याय पंचायत–घाँघल
वि०ख०–गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)
ह0/–
ग्राम प्रधान
दि० 29/4/2021

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 29-4-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिराड़ी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल सिंह	[signature]
(2)	भूपसिंह बोरा	[signature]
(3)	जगत सिंह	जगत सिंह
(4)	निखिल सिंह	निखिल सिंह
(5)	पूरन सिंह	[signature]
(6)	हुकम सिंह	[signature]
(7)	बलवीर सिंह	[signature]
(8)	पूजा देवी	पूजा देवी
(9)	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
(10)	रवीन्द्र सिंह	रवीन्द्र सिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान

पूजा देवी
प्रधान 29/4/202
ग्राम सभा–चौना
न्याय पंचायत–घाँघल
वि०ख०–गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– ग्राम मन्दिर से सिराड़ी गाँव प्रा०वि० ठठौली ससपौड़ा मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ठठौली
तहसील गणाई गंगोली जिला

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम मन्दिर से सिराड़ी ठठौली ससपौड़ा परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.18 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.0 हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 0.18 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ठठौली द्वारा दिनांक 29.4.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ठठौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सुन्दर सिंह सुगड़ा
ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र वि०ख० गंगोलीहाट
दि० 29/4/2021

पूजा देवी
ह0/– 29/4/2021
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम सभा–चौना
न्याय पंचायत–घाँघल
वि०ख०–गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र—23.1

दिनांक 29.4.21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ठठौली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	हरीश सिंह	[illegible]
2	[illegible] सिंह	[illegible]
3	मेहर सिंह	मेहर सिंह
4	हीरा सिंह	हीरा सिंह
5	रवीन्द्र सिंह	रवीन्दर सिंह
6	लाल सिंह	भोलसिंह
~~7~~	मनमोहन सिंह	[illegible]
8	संजय सिंह	संजय सिंह

पूजा देवी

ह० प्रधान 29/4/2021

ग्राम प्रधान

ग्राम सभा [illegible]ना

न्याय पंचायत—घाँघल

वि०ख०—गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राम मन्दिर से सिराड़ी गॉव प्रा०वि० ढढौली सस्पौड़ा मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सस्पौड़ा
तहसील गणाई, जिला गंगोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राम मन्दिर से सिराड़ी ढढौली सस्पौड़ा परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.27 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.0 हे0, वन पंचायत भूमि — × — हे0) अर्थात कुल 0.27 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सस्पौड़ा द्वारा दिनांक 29.4.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सस्पौड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सुन्दर सिंह सुगड़ा (29/4/21)
ह0/– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
वि0ख0 गंगोलीहाट

अंजू बोरा
अंजू बोरा
ह0/– 29/4/2021
ग्राम प्रधान
वि0 ख0- गंगोलीहाट, पिथौरागढ़

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1

दिनांक 29.4.21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सरपोड़ा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पूरन सिंह	[illegible]
2	दलीप सिंह	दलीप सिंह
3	अंजू बोरा	अंजू बोरा
4	[illegible] सिंह	[illegible]
5	[illegible] सिंह	[illegible]
6	[illegible] सिंह	राजेन्द्र सिंह
7	[illegible] सिंह	[illegible]
8	मोहन सिंह	मोहन
9	[illegible] सिंह	[illegible]

ह0/— अंजू बोरा
ग्राम प्रधान

अंजू बोरा 29/4/2021

प्रधान
ग्राम पंचायत- [illegible]
वि0 ख0- [illegible], पिथौरागढ़

प्रपत्र– 23.2

परियोजना विवरण : माननीय मुख्यमन्त्री धोषणा संख्या 460/2020 **के अर्न्तगत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर** से सिराडी गांव प्रा0 वि0 ठठोली सस्पौड़ा **मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी0 में पडनेवाली 1.71 हे0 वनमूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण**

कार्यालय उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति–गंगोलीहाट

उप खण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राम मन्दिर** से सिराडी गांव प्रा0 वि0 ठठोली सस्पौड़ा **मोटर** मार्ग का निर्माण **में 0.00** हे0 आ0 वनभूमि 1.62 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि **0.09** हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **1.71** हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–गणाई गंगोली) की दिनांक 10/10/2022.........को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री भगत सिंह फोनिया उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1–श्री भगत सिंह फोनिया उपजिलाधिकारी **गंगोलीहाट** अध्यक्ष।

2–श्री उपप्रभागीय वनाधिकारी **बेरीनाग** सदस्य।

3–श्री **संजय भटट** सहायक समाज कल्याण अधिकारी **गंगोलीहाट** सदस्य/सचिव ।

4–श्रीमती पूजा देबी बी0डी0सी0 क्षेत्र पाली सदस्य। Pooja

5–श्री चन्द्र शेखर पंत बी0डी0सी0 क्षेत्र चिटगल सदस्य। CS Pant

6–श्रीमती गीता देबी बी0डी0सी0 क्षेत्र सिमलकोट सदस्य। गीता देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राम मन्दिर** से सिराडी गांव प्रा0 वि0 ठठोली सस्पौड़ा मोटर मार्ग परियोजना हेतु **1.71** हे0 वनभूमि लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है।

उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को

स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राम मन्दिर** से सिराडी गांव प्रा० वि० ठठोली सस्पौड़ा मोटर मार्ग के निमार्ण **हेतु 1.71** हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति ब्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गंगोलीहाट
जनपद– पिथौरागढ़

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भगत सिंह फोनियां
उप जिलाधिकारी
18/6/2021

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गंगोलीहाट
जनपद– पिथौरागढ़

चन्द्रशेखर पन्त
18/6/2021
चिटगल
गंगोलीहाट, पिथौरागढ़

संजय भट्ट
18/6/21
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गंगोलीहाट

गीता देवी
सदस्य
क्षेत्र सिमलकोट 05
वि० ख०-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
दि० 18/6/2021

पूजा देबी
सदस्य 18/6/2021
क्षेत्र-पाली 03
वि० ख०-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ (उ०खं०)

1.6

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated---25/9/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.71 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Berinag (name of user agency) for **Ram mandir to siradi thatholi saspoda** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **siradi, thatholi, saspoda** village (s) in **Berinag** tehsils.
It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.71** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

डा० आशीष चौहान

Eucl: As above.

Signature 25/9/2021

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. .Dr. Asish chohan I.A.S deputy commissioner,. Pithoragarh.. on dated 25/9/2021. at time 5:00 P.M. .at **Pithoragarh** in which application claiming rights in ....1.71.... area measuring 1.71 hect for the construction of **Ram mandir to siroli saspoda thatholi** Moter Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Berinag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

डा० आशीष चौहान

25/9/2021

Place; Pithoragarh
Dated: 25/9/2021
cum-Chairman

Deputy Commissioner-
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
District Level Committee

प्रपत्र– 23

परियोजना विवरण : माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 460/2020 के **अर्न्तगत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर** से सिराडी गांव प्रा0 वि0 ठठोली सस्पौड़ा **मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5. 00किमी0 में पड़नेवाली 1.71 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण**

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिलास्तरीय समिति–पिथौरागढ़

उप खण्ड **गंगोलीहाट** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राम मन्दिर** से सिराडी गांव प्रा0 वि0 ठठोली सस्पौडा **मोटर मार्ग का विस्तार में 0.00** हे0 आ0 वनभूमि **1.62** हे0 सिविल एवं सोयम भूमि **0.09** हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **1.71** हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **गणाई गंगोली**) की दिनांक 25/09/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डा० आशीष चौहान जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1–श्री डा० आशीष चौहान जिलाधिकारी **पिथौरागढ** अध्यक्ष।

2–श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य।

3–श्री विद्यासागर कापड़ी जिला समाज कल्याण अधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य/सचिव ।

4–श्रीमती गंगोत्री दताल जिला पंचायत सदस्य।

5–श्रीमती पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य।

6–श्री सुरेश सिंह जिला पंचायत सदस्य। सुरेश सिंह

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राम मन्दिर** से सिराडी गांव प्रा0 वि0 ठठोली सस्पौडा **मोटर मार्ग** परियोजना हेतु **1.71** हे0 वनभूमि **लोक निमार्ण विभाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य 09-नाचनी, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड दि० 25-9-2021	सुरेश सिंह सदस्य जिला पंचायत खेला 02 जिला–पिथौरागढ़ दि० 25-9-21	विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ 25/9/2021	विद्या सागर कापड़ी जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ दि० 25/9/21	डा० आशीष चौहान 25/9/2021
सदस्य जिला पंचायत श्रीमती गंगोत्री दताल सदस्य जिला पंचायत सेराली (पिथौरागढ़) दि० 25/9/2021 सदस्य		प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	जिलाधिकारी अध्यक्ष जिलाधिकारी पिथौरागढ़